न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 25/2026 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

तारीख रजू : 23.03.2026 निर्णय दिनांक : 04.05.2026

1. उम्मेद पुत्र स्व० जैलसिंह राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय यादव अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बउनवानी उम्मेदसिंह बनाम राजस्थान सरकार वाद पत्र संख्या 74/2023 दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर में विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहत न्यायालय से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई।
3. वकील प्रार्थी को सुना गया।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी एवं अन्य प्रार्थीगण ने घोषणा, खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद को उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उनके स्वर्गीय पिता जैलसिंह (सेवानिवृत्त फौजी) को दिनांक 29–12–1978 को जिलाधीश महोदय के पत्रांक 84/16 द्वारा खसरा नम्बर 678 में से 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, जिसके स्थान पर वर्तमान में खसरा नम्बर 1799/1733 रकबा 0.84 हैक्टेयर व 1143 रकबा 1.14 हैक्टेयर स्थित है और वादीगण इसके दक्षिणी हिस्से के 0.14 हैक्टेयर भाग पर निरंतर काबिज चले आ रहे हैं। प्रकरण के दौरान अप्रार्थी तहसीलदार विराटनगर ने दिनांक 05–09–2024 को अपना जवाब–दावा पेश कर आवंटन को सही स्वीकार किया और वादी के दावे पर सहमति प्रदान की, जिसके आधार पर वादी की साक्ष्य एवं दस्तावेजी प्रदर्श की प्रक्रिया दिनांक 20–11–2024 तक पूर्ण कर ली गई और माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09–10–2025 को बहस सुनकर प्रकरण आदेश हेतु नियत कर दिया गया। इसके बावजूद, विगत पेशी दिनांक 26–02–2026 को उपखण्ड अधिकारी ने विधि के मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए पुनः जवाब हेतु स्मरण पत्र

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

जारी कर दिया, जबकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत पदधारी अधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा स्वीकार किए गए तथ्यों से आबद्ध होता है और न्यायालय को अपने ही आदेश की समीक्षा कर पुनः जवाब लेने का विधिक अधिकार नहीं है। तहसीलदार से मिलकर विपरीत तथ्यों पर आधारित नया जवाब रिकॉर्ड पर लेने की इस कार्यवाही से प्रार्थी को विश्वास हो गया है कि उसे इस न्यायालय से निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं होगा, अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की पालना में प्रकरण की पत्रावली को क्षेत्राधिकार के किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्यायोचित एवं अनिवार्य है।

5. तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर ने पत्रांक राजस्व कोर्ट/2026/32 दिनांक 06.04.2026 के द्वारा निवेदन किया कि उक्त राजस्व प्रकरण में नियमित रूप से तारीख पेशी दी जाकर विधि सुसंगत प्रावधनों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। उक्त मुन्तिकल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप असत्य है, जो स्वीकार्य नहीं है। यदि श्रीमान इस प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानातरित करते है तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा उठाए गए बिंदु पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया एवं आदेशिका की व्याख्या से संबंधित हैं। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी पक्षकार को न्यायालय द्वारा पारित किसी अंतरवर्ती आदेश से आपत्ति है, तो उसके विरुद्ध अपील या निगरानी का विकल्प उपलब्ध है। मात्र किसी आदेश से असहमति होना अथवा न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत जवाब तलब करना, पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध व्यक्तिगत पक्षपात या न्याय न मिलने की युक्तिसंगत शंका का आधार नहीं माना जा सकता। स्थानान्तरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी ठोस साक्ष्यों से यह सिद्ध करे कि पीठासीन अधिकारी का आचरण पक्षपातपूर्ण है। केवल प्रक्रियात्मक विलम्ब या विधिक दृष्टिकोण की भिन्नता के आधार पर बार–बार प्रकरणों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई, तो इससे न्यायिक व्यवस्था एवं अधीनस्थ न्यायालयों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तहत न्यायालय की टिप्पणी से स्पष्ट है कि न्यायालय विधि सम्मत कार्यवाही कर रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में कोई विधिक बल प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को भिजवाई जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अपर्णा गुप्ता)
I.A.S.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़